XI अभिशासन, मानव संसाधन और संगठनात्मक प्रबंधन

रिज़र्व बैंक ने बदलती आवश्यकताओं और अपने काम के व्यापक कैनवास और परिचालन क्षमताओं का एक विविध और मजबूत सेट बनाने के लिए नई भर्तियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों (ई-लर्निंग सहित) के माध्यम से अपने मानव संसाधनों को सुदृढ़ करने के लिए सक्रिय उपाय करना जारी रखा। इसके अलावा, अपने कर्मचारियों के भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कल्याण में वृद्धि करने के लिए वर्ष के दौरान एक कर्मचारी सहायता कार्यक्रम (ईएपी) शुरू किया। इसने जनवरी 2023 से दिसंबर 2025 (उत्कर्ष 2.0) की अवधि के लिए अपने मध्यम अवधि के कार्यनीति ढांचे का भी अनावरण किया। निरीक्षण विभाग और जोखिम निगरानी विभाग के बीच एक संस्थागत फीडबैक लूप बनाकर जोखिम निगरानी और आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र को मजबूत किया गया।

XI.1 इस अध्याय में रिज़र्व बैंक के महत्वपूर्ण पहलुओं अभिशासन, मानव संसाधन प्रबंधन, जोखिम निगरानी तथा कॉरपोरेट कार्यनीति और बजट के अलावा आंतरिक लेखा परीक्षा, राजभाषा और परिसर से संबंधित विभागों की गतिविधियों पर चर्चा की गई है। यह अध्याय प्रमुख घटनाओं की समीक्षा करता है, वर्ष के प्रारंभ में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में 2022-23 के दौरान उनकी प्राप्ति का मूल्यांकन करता है और 2023-24 के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करता है।

XI.2 वर्ष 2021-22 के दौरान मानव संसाधन को भर्तियों, आंतरिक तथा बाह्य दोनों ही तरह के प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त किया गया। इसके अलावा, संगठनात्मक उद्देश्यों में सामंजस्य स्थापित करने हेतु प्रशिक्षण के लिए एक नया ढाँचा तैयार किया गया है, जो अधिगम इनपुट के लिए नवीनतम उपलब्ध तकनीक का लाभ उठाता है और रिज़र्व बैंक के प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों के बीच ओवरलैप के अवलोकन योग्य क्षेत्रों को कम करता है। प्रशिक्षण के अलावा, रिज़र्व बैंक ने अपने अधिकारियों के लिए अध्ययन योजनाओं की सुविधा भी प्रदान की और साथ ही उन्हें भारत और विदेशों में उपलब्ध विशेषज्ञता से लाभान्वित करने के लिए सेमिनारों और सम्मेलनों के लिए नामित किया। जहां कर्मचारियों की भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर्मचारी सहायता कार्यक्रम (ईएपी) का शुभारंभ किया गया वहीं अद्वितीय संगठनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 'कहीं से भी काम' प्रतिमान की जांच की जा रही है।

XI.3 2022-23 के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप, जोखिम निगरानी विभाग (आरएमडी) ने जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) के तहत जोखिम मूल्यांकन के साथ परिचालन जोखिम (रैम-ओआर) के लिए जोखिम मूल्यांकन पद्धति के तहत निर्धारित जोखिम-रेटिंग को अनुकूलित किया और निरीक्षण विभाग और जोखिम निगरानी विभाग (आरएमडी) के बीच एक संस्थागत फीडबैक लूप सृजित किया। इसके अलावा, स्वचालित जोखिम रजिस्टर मॉड्यूल को परिचालित किया गया।

XI.4 निरीक्षण विभाग ने आरएमडी के साथ बेहतर तालमेल बैठाते हुए रिज़र्व बैंक के सामने आने वाले विभिन्न जोखिमों पर केंद्राभिमुख दृष्टिकोण सक्षम करने पर ध्यान केंद्रित किया। विभाग ने आंतरिक कार्यदल (आईडब्ल्यूजी) की विभिन्न सिफारिशों को भी लागू किया, जिसमें अनुपालन की गुणवत्ता में सुधार करने और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने के लिए आंचलिक निरीक्षणालयों (जेडआई) की स्थापना भी शामिल है।

XI.5 इस वर्ष, कॉरपोरेट कार्यनीति और बजट विभाग (सीएसबीडी) ने जनवरी 2023 से दिसंबर 2025 की अवधि

[1] जनवरी 2019 से दिसंबर 2022 की अवधि के लिए रिज़र्व बैंक की मध्यम अवधि की कार्यनीति का ढांचा *उत्कर्ष* 1.0 के तहत कवर किया गया था।

(*उत्कर्ष 2.0*) के लिए रिज़र्व बैंक की मध्यम अवधि की कार्यनीति[1] का ढांचा तैयार किया। रिज़र्व बैंक के कारोबार निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) ढांचे के नोडल विभाग सीएसबीडी ने सभी कारोबारी इकाइयों की बीसीएम नीति और कारोबार निरंतरता योजनाओं (बीसीपी) की समीक्षा की, जिसमें समय संवेदी महत्वपूर्ण गतिविधियों (टीएससीए) को अद्यतन करना भी शामिल है और कोविड-19 महामारी के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए कारोबार निरंतरता उपायों पर एक सार-संग्रह जारी किया।

XI.6 राजभाषा विभाग ने राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम और भारत सरकार (जीओआई) द्वारा जारी अन्य निर्देशों के अनुसार राजभाषा नीति के तहत विभिन्न वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया। विभाग ने हिंदी के प्रयोग के संबंध में विभिन्न समीक्षा बैठकें, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सम्मेलन, व्याख्यान, सेमिनार आयोजित किए और ई-पत्रिकाओं और हिंदी पत्रिकाओं के प्रकाशन के माध्यम से रचनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करते हुए रिज़र्व बैंक के प्रकाशनों को द्विभाषी बनाने में योगदान दिया।

XI.7 परिसर विभाग ने सौंदर्य अपील सुनिश्चित करते हुए पर्यावरण के अनुकूल तरीके से भौतिक बुनियादी ढांचे के निर्माण, रखरखाव और उन्नयन के अपने अधिदेश का पालन किया। वर्ष के दौरान, चल रही निर्माण परियोजनाओं को पूरा करने में प्रगति करने के अलावा, विभाग ने ऊर्जा बचत के लक्ष्य को पार कर लिया, रिज़र्व बैंक के कार्यालय और आवासीय भवनों के लिए ग्रीन रेटिंग हासिल की और प्रमुख निर्माण परियोजनाओं की निगरानी के लिए प्लेटफार्मों / सॉफ्टवेयर का संचालन भी किया।

XI.8 इस अध्याय को नौ खंडों में बांटा गया है। रिज़र्व बैंक की अभिशासन संरचना से संबंधित घटनाक्रम को खंड 2 में रखा गया है। खंड 3 मानव संसाधन प्रबंध विभाग (एचआरएमडी) द्वारा वर्ष के दौरान मानव संसाधन प्रबंधन और विकास के क्षेत्र में की गई पहलों को रेखांकित करता है। उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन ढांचे से संबंधित विकास को खंड 4 में रखा गया है। वर्ष के दौरान निरीक्षण विभाग की गतिविधियों पर खंड 5 में चर्चा की गई है। रिज़र्व बैंक के लिए कार्यनीतियों का समन्वय और निर्धारण करने वाले विभाग सीएसबीडी का कामकाज खंड 6 में शामिल है। राजभाषा और परिसर विभागों की गतिविधियों और उपलब्धियों को क्रमशः खंड 7 और 8 में प्रस्तुत किया गया है। अंत में अध्याय का निष्कर्ष दिया गया है।

2. अभिशासन ढांचा

XI.9 भारतीय रिज़र्व बैक (आरबीआई) अधिनियम, 1934 के अनुसार केंद्रीय निदेशक मंडल को रिज़र्व बैंक के अभिशासन कार्य का दायित्व दिया गया है । इसमें अध्यक्ष के रूप में गवर्नर, उप गवर्नर तथा केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक शामिल हैं। चार स्थानीय बोर्ड हैं, ये देश के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों हेतु प्रत्येक के लिए एक है, ये केंद्रीय बोर्ड को उनको संदर्भित मामलों के बारे में सलाह देते हैं तथा केंद्रीय बोर्ड द्वारा दिए गए कार्य करते हैं। स्थानीय बोर्डों के सदस्यों की नियुक्ति भी केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार की जाती है।

XI.10 केंद्रीय बोर्ड की सहायता के लिए तीन समितियां होती हैं : केंद्रीय बोर्ड समिति (सीसीबी), वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) तथा भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड (बीपीएसएस)। इन समितियों के अध्यक्ष गवर्नर होते हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय बोर्ड में पांच उप समितियां भी होती हैं : लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस), मानव संसाधन प्रबंधन समिति (एचआरएम-एससी), भवन उप-समिति (बी-एससी) सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति (आईटी-एससी) और कार्यनीति उप-समिति (एस-एससी)। इन उप समितियों की अध्यक्षता बाह्य निदेशक ही करते हैं।

केंद्रीय बोर्ड, सीसीबी और स्थानीय बोर्डों की बैठकें

XI.11 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की सात बैठकें आयोजित की गईं।

XI.12 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के दौरान सीसीबी की 46 बैठकें हुईं, जिनमें से 34 ई-बैठकें, 11 बैठकें भौतिक रूप से और एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। सीसीबी ने रिज़र्व बैंक के साप्ताहिक मामलों की विवरणियों को अनुमोदित करने के साथ-साथ इसके वर्तमान कारोबार पर भी ध्यान दिया।

XI.13 1 अप्रैल 2022 की स्थिति के अनुसार, दो बाह्य निदेशकों के साथ केंद्रीय बोर्ड की एक स्थायी समिति उन स्थानीय बोर्डों, यथा पश्चिमी, पूर्वी एवं दक्षिणी स्थानीय बोर्ड, *के स्थान पर* कार्य कर रही है जो गणपूर्ति (कोरम) के अभाव में कार्य करने में असमर्थ हैं। 18 सितंबर 2022 को एक सदस्य का कार्यकाल समाप्त होने के बाद, उत्तरी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड भी कोरम की कमी के कारण कार्य नहीं कर सका। अत:, 31 मार्च 2023 तक, स्थायी समिति उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र स्थानीय बोर्डों के *बदले काम* कर रही थी। केंद्रीय बोर्ड की स्थायी समिति ने 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 की अवधि के दौरान उत्तरी क्षेत्र के लिए एक बैठक और पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र के लिए दो-दो बैठकें आयोजित कीं। उत्तरी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान दो बैठकें आयोजित कीं। केंद्रीय बोर्ड, उसकी समितियों और उप-समितियों, स्थानीय बोर्डों और केंद्रीय बोर्ड की स्थायी समिति की बैठकों में स्थानीय बोर्ड/बोर्डों *के स्थान पर* निदेशकों/सदस्यों की भागीदारी का विवरण अनुबंध सारणी XI.1-5 में दिया गया है।

केंद्रीय बोर्ड/स्थानीय बोर्ड

XI.14 केंद्र सरकार ने डॉ. माइकल देबब्रत पात्र को 15 जनवरी 2023 से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिज़र्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया ।

XI.15 केंद्र सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 (1) (सी) के तहत श्री आनंद गोपाल महिंद्रा, श्री वेणु श्रीनिवासन, श्री पंकज रमनभाई पटेल और डॉ. रवींद्र एच धोलकिया को 14 जून 2022 को चार साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया।

XI.16 केंद्र सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 (1) (सी) के तहत श्री सतीश काशीनाथ मराठे और श्री एस गुरुमूर्ति को 11 अगस्त 2022 को चार साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशकों के रूप में पुन: नामित किया।

XI.17 श्रीमती रेवती अय्यर को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 9(1) के तहत उत्तरी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड के सदस्य के रूप में पुन: नियुक्त किया गया और 18 सितंबर 2022 को या अगले आदेश तक, उनके कार्यकाल के पूरा होने के बाद चार वर्षों की अवधि के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 (1) (बी) के तहत रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में फिर से नामित किया गया।

XI.18 प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 9 (1) के तहत पूर्वी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड के सदस्य के रूप में फिर से नियुक्त किया गया और 18 सितंबर 2022 को या अगले आदेश तक, उनके कार्यकाल के पूरा होने के बाद चार वर्षों की अवधि के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 (1) (बी) के तहत रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में फिर से नामित किया गया।

XI.19 केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2022 से अगले आदेश तक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिव डॉ. विवेक जोशी को श्री संजय मल्होत्रा के बदले भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 (1) (डी) के तहत रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया।

XI.20 उत्तरी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड के सदस्य के रूप में श्री आर. एन. दुबे का कार्यकाल 18 सितंबर 2022 को समाप्त हो गया।

कार्यपालक निदेशक

XI.21 डॉ. मृदुल के. सागर, कार्यपालक निदेशक 29 अप्रैल 2022 को सेवानिवृत्त हुए। श्री अनिल कुमार शर्मा, कार्यपालक निदेशक 31 मार्च 2023 को सेवानिवृत्त हुए। डॉ. राजीव रंजन और डॉ. सितिकंठ पटनायक को 2 मई 2022 को कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था। श्री नीरज निगम को 3 अप्रैल 2023 को कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था।

3. मानव संसाधन विकास के प्रयास

XI.22 रिज़र्व बैंक के पास परिचालन का एक व्यापक कैनवास है, जिसमें अपने जनादेश को पूरा करने के लिए विविध कौशल और आंतरिक क्षमताओं की एक मजबूत व्यवस्था की आवश्यकता होती है। रिज़र्व बैंक में मानव संसाधन प्रबंध विभाग (एचआरएमडी) कुशल और प्रेरित कार्यबल तैयार करने और इसे बनाए रखने में सहायक और सुविधाप्रदाता की भूमिका निभाता है। वर्ष के दौरान, विभाग ने ई-लर्निंग सहित भर्ती और प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल को बढ़ाने पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखा, और कर्मचारियों के कल्याण, विशेष रूप से कर्मचारियों और उनके परिवारों के भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कल्याण को प्राथमिकता दी। इन क्षेत्रों के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में वर्ष के दौरान की गई प्रमुख पहलों पर 2022-23 के लिए निर्धारित एजेंडे के कार्यान्वयन की स्थिति के साथ-साथ 2023-24 के लिए एजेंडा पर भी प्रकाश डाला गया है।

2022-23 के लिए कार्यसूची

XI.23 पिछले साल, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे :

- अंतर्राष्ट्रीय बैठकों/सम्मेलनों/संगोष्ठियों (आईएमएफ/बीआईएस/जी-20/सार्क, आदि) में भाग लेने वाले अधिकारियों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए इष्टतम अवसर प्रदान करना और उनका उन्नयन करना। [*उत्कर्ष*] (पैराग्राफ XI.24);
- कारोबारी निरंतरता योजना के हिस्से के रूप में सहज कार्य वातावरण के निर्माण के लिए 'कहीं से भी कार्य करना' पर एक नीति तैयार करना (पैराग्राफ XI.25);
- विभिन्न प्रशिक्षण संबंधी योजनाओं की समीक्षा और समेकन के अलावा रिज़र्व बैंक के प्रशिक्षण संस्थानों की समीक्षा करना (पैराग्राफ XI.26);
- कल्याण से संबंधित मामलों पर एक 'कर्मचारी सहायता कार्यक्रम' स्थापित करना (पैराग्राफ XI.27); और
- रिज़र्व बैंक के ऑनलाइन संसाधनों के लिए एकल अभिगम बिंदु के रूप में 'कर्मचारी सहभागिता मंच' विकसित करना और बैंक-कर्मचारी और कर्मचारी-कर्मचारी संवाद को सुदृढ़ करना (पैराग्राफ XI.28)।

कार्यान्वयन स्थिति

XI.24 रिज़र्व बैंक के सभी विभागों के उन डोमेन विशेषज्ञों के कौशल और ज्ञान के उन्नयन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जानकारी प्रदान की जा रही है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बैठकों/मंचों में रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधित्व किया है। अधिकारियों को दिए जाने वाले मार्गदर्शन को रिज़र्व बैंक के शीर्ष प्रबंधतंत्र और देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के साथ विचार-विमर्श के आधार पर तैयार किया जाता है।

XI.25 रिज़र्व बैंक जैसे पूर्ण सेवा देने वाले केन्द्रीय बैंक की विशिष्ट विशेषताओं और आवश्यकताओं को देखते हुए रिज़र्व बैंक में 'कहीं से भी कार्य करें' प्रतिमान की जांच की जा रही है। विभिन्न केंद्रों और कैडरों में कर्मचारी कल्याण और काम करने की स्थिति में समानता के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है।

XI.26 रिज़र्व बैंक के प्रशिक्षण संस्थानों की ओवरलैप के अवलोकन योग्य क्षेत्रों को कम करने और रिज़र्व बैंक के प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे का इष्टतम उपयोग करने के लिए समीक्षा की गई। रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर शुरू की गई प्रशिक्षण

संबंधी योजनाओं को समकालिक बनाया गया और संगठनात्मक उद्देश्यों के साथ और संरेखित करने के लिए आवश्यकतानुसार उनकी समीक्षा की गई।

XI.27 कर्मचारियों और उनके पात्र परिवार के सदस्यों के लिए 11 अक्टूबर 2022 को एक कर्मचारी सहायता कार्यक्रम (ईएपी) शुरू किया गया था। ईएपी के प्रमुख उद्देश्य और *इसकी कार्यप्रणाली* को बॉक्स XI.1 में दिया गया है।

XI.28 कर्मचारी सहभागिता पोर्टल विकसित करने से संबंधित कार्य को वर्तमान में रिज़र्व बैंक के एंटरप्राइज नॉलेज पोर्टल (ईकेपी) नामक इंट्रानेट पोर्टल के पुनरुद्धार के लिए चलाई जा रही परियोजना के साथ मिला दिया गया है।

प्रमुख गतिविधियां

आंतरिक प्रशिक्षण

XI.29 प्रशिक्षण की प्रभावशीलता प्रशिक्षण आवश्यकताओं के प्रभावी विश्लेषण से शुरू होती है, जो संगठनात्मक उद्देश्यों में मेल खाती है। तदनुसार, प्रशिक्षण के लिए एक नया ढांचा तैयार किया गया। इस ढ़ांचे में ये शामिल हैं (क) प्रशिक्षण आवश्यकताओं के लिए विभिन्न स्तरों से लेकर विभाग/कार्यात्मक क्षेत्र में शामिल होने वाले अधिकारियों के लिए आरंभिक स्तर के प्रशिक्षण, निर्बाध अनुक्रम के माध्यम से कारोबारी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण, अपस्किलिंग/रिस्किलिंग के लिए प्रशिक्षण और परिवर्तन-उन्मुख प्रशिक्षण, जिससे रिज़र्व बैंक को प्रौद्योगिकी सहित नवीनतम विकास का लाभ हासिल करने में मदद मिलेगी; (ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रशिक्षण संस्थानों (टीई) और आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्रों (जेडटीसी) का ध्यान निरंतर कर्मचारियों की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए उनके कार्यात्मक और व्यवहार कौशल के उन्नयन पर केंद्रित करना और इन उद्देश्यों की प्राप्ति की इस दिशा में वर्ष के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए गए; और (ग) रिज़र्व बैंक के प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में ऑनलाइन और ई-लर्निंग तरीके से सीखने के इनपुट प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया गया (सारणी XI.1)

बाह्य संस्थानों में प्रशिक्षण

XI.30 रिज़र्व बैंक ने प्रमुख बाह्य संस्थानों में उपलब्ध विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से भारत और विदेशों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों और सम्मेलनों में अपने अधिकारियों को नामित किया (सारणी XI.2)। श्रेणी III और IV के कर्मचारियों को भारत में बाहरी संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए भी प्रतिनियुक्त किया गया था।

बॉक्स XI.1
कर्मचारी सहायता कार्यक्रम

कार्यस्थल पर तनाव, चाहे वह कार्य की भौतिक स्थितियों के कारण हो या आपसी संबंधों के माहौल के कारण हो, कर्मचारी स्वास्थ्य के साथ-साथ उत्पादकता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।

चूंकि कार्यस्थल पर ऐसी समस्याओं से निपटना मुश्किल और जटिल है, अत: किसी कर्मचारी और टीम लीडर दोनों के लिए ही ऐसी स्थितियों में एक निरपेक्ष पार्टी का हस्तक्षेप सहायक हो सकता है।

कर्मचारी सहायता कार्यक्रम (ईएपी) तनाव, चिंता और अवसाद सहित परेशानियों की विस्तृत शृंखला में सहायता और कोचिंग उपलब्ध कराता है। ईएपी कर्मचारियों को तृतीय-पक्ष के ऐसी पेशेवर परामर्श सेवा तक पहुंच प्रदान करता है जिसमें मनोविज्ञान / परामर्श में मान्यता प्राप्त डिग्री रखने वाले परामर्शदाता उपलब्ध होते हैं एवं इनके साथ मोबाइल फोन, वीडियो कॉन्फ्रेंस और आमने-सामने बैठकर चर्चा करने सहित कई तरीकों के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है। कर्मचारियों के लिए 24/7 हॉटलाइन उपलब्ध कराई गई है ताकि मनोवैज्ञानिक / परामर्शदाता के साथ सेवा प्रदाता के ऐप (सकारात्मक मनोविज्ञान उपकरण और संसाधनों को शामिल करने और ईएपी हॉटलाइन तक पहुंच को सक्षम करने) के माध्यम से चर्चा करने के विकल्प को जल्दी से व्यवस्थित किया जा सके। इस कार्यक्रम में उपयोगकर्ता कर्मचारी की गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए सहायता उपलब्ध कराई जाती है क्योंकि नियोक्ता को यह पता नहीं होता है कि सेवा का उपयोग कौन कर्मचारी कर रहा है।

स्रोत : आरबीआई।

सारणी XI.1: रिज़र्व बैंक के प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में आयोजित कार्यक्रम

प्रशिक्षण प्रतिष्ठान	2020-21 (जुलाई-मार्च)#		2021-22 (अप्रैल-मार्च)		2022-23 (अप्रैल-मार्च)	
	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
आरबीएससी, चेन्नई	89	3,629 (72)	122	4,267 (325)	97	2,800 (12)
सीओएस##	3	74*	43	1,726*	59	2,212*
आरबीआई अकादमी	25	840	18	1185	15	1,274
सीएबी, पुणे	183	10,308* (45)	216	13,308* (134)	194	23,657*
जेडटीसी (श्रेणी I)	135	3,682	127	3,140	112	2,511
जेडटीसी (श्रेणी III)	104	4,568	109	3,920	103	3,396
जेडटीसी (श्रेणी IV)	11	417	23	820	36	983

आरबीएससी : रिज़र्व बैंक स्टाफ कॉलेज सीएबी : कृषि बैंकिंग महाविद्यालय

: रिज़र्व बैंक के लेखा वर्ष को 2020-21 से अप्रैल-मार्च में बदलने के साथ, रिज़र्व बैंक के पहले संक्रमण वर्ष की अवधि नौ महीने (जुलाई 2020 - मार्च 2021) की थी।

: पर्यवेक्षकों का कॉलेज (सीओएस) प्रशासनिक रूप से पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) से जुड़ा हुआ है और इसका विजन भारत और दुनिया भर में ज्ञानवान, कुशल और सक्रिय पर्यवेक्षकों, विनियामकों और विनियमित इकाई कर्मियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध एक विश्वस्तरीय, प्रतिष्ठित क्षमता-निर्माण संस्थान बनाने का है।

* : आंकड़ों में भारतीय रिज़र्व बैंक के सहभागी, गैर-आरबीआई सहभागी (घरेलू), विदेशी सहभागी और/या बाहरी संस्थानों के सहभागी शामिल हैं।

नोट : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिभागियों की कुल संख्या में से विदेशी प्रतिभागियों और/या बाहरी संस्थानों के प्रतिभागियों से संबंधित हैं।

स्रोत : आरबीआई।

अध्ययन योजनाएं

XI.31 वर्ष के दौरान कुल 13 अधिकारियों ने उच्च अध्ययन करने के लिए योजनाओं का लाभ उठाया। इनमें से पांच अधिकारी विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

सारणी XI.2 : भारत और विदेशों में बाह्य प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या

वर्ष	भारत में प्रशिक्षित (बाहरी संस्थान)	विदेश में प्रशिक्षित
1	2	3
2020 - 21 (जुलाई-मार्च)*#	194	258
2021 - 22 (अप्रैल-मार्च)	326	496*
2022 - 23 (अप्रैल-मार्च)	401	420 (266)*

*: ऑनलाइन मोड। #: XI.1 का फुटनोट देखें।

स्रोत : आरबीआई।

अन्य पहलें

अनुदान और वृत्तिदान

XI.32 बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण और परामर्श को बढ़ावा देने के अपने मिशन के अंग के रूप में, रिज़र्व बैंक ने इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (आईजीआईडीआर), मुंबई को ₹33.56 करोड़; उन्नत वित्तीय अनुसंधान और शिक्षा केंद्र (कैफराल), मुंबई को ₹8.14 करोड़; लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (एलएसई) इंडिया ऑब्जर्वेटरी और आईजी पटेल चेयर को ₹0.76 करोड़; राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम), पुणे को ₹0.47 करोड़ रुपये और

भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान (आईआईबीएम), गुवाहाटी को ₹0.72 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

औद्योगिक संबंध

XI.33 वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे। सेवा शर्तों और कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपायों से संबंधित विभिन्न मामलों पर अधिकारियों और कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाली मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों/फेडरेशनों के साथ आवधिक बैठकें आयोजित की गईं। अप्रैल 2022-मार्च 2023 के दौरान, मानव संसाधन प्रबंध विभाग (एचआरएमडी), केंद्रीय कार्यालय ने मान्यता प्राप्त यूनियनों/ एसोसिएशनों की केंद्रीय इकाइयों के साथ नौ बैठकें कीं। मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) ने भी तिमाही/छमाही अंतराल पर मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों की स्थानीय इकाइयों के साथ बैठकें कीं।

कर्मचारियों के साथ इंटरफेस

XI.34 रिज़र्व बैंक ने संगठन के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों के विचारों और प्रतिक्रिया का उपयोग करने की दृष्टि से एक ऐसी संस्कृति विकसित करने की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखा जिससे उन्हें संस्था के प्रति जुड़ाव महसूस कराया जा सके। रिज़र्व बैंक की वॉयस पहल (राय देने के लिए प्रेरित करना, योगदान करना और अग्रणी होना) कर्मचारियों को विभाग के साथ खुलकर बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। वस्तुत: इससे प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच एक 'जुड़ाव' सृजित करने में मदद मिली है। अप्रैल 2022-मार्च 2023 में, रिज़र्व बैंक ने विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय के लगभग 200 प्रतिभागियों को कवर करते हुए 12 वॉयस सत्र आयोजित किए।

XI.35 विभाग ने कर्मचारियों की व्यस्तता के स्तर और इसमें योगदान करने वाले कारकों का पता लगाने के लिए आंतरिक सर्वेक्षण करने की प्रथा जारी रखी। मानव संसाधन प्रबंधन में रिज़र्व बैंक की पहल के मार्गदर्शन करने में ये सर्वेक्षण प्रमुख अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। कार्यशालाओं के माध्यम से कार्यालयों के बीच कर्मचारी जुड़ाव ढांचे का प्रसार किया गया था, जिसका उद्देश्य प्रतिभागियों को उनकी संबंधित इकाइयों से जुड़े कर्मचारियों की कार्यस्थल की व्यस्तता में सुधार के लिए सुदृढ़ कार्य योजना तैयार करने और इसे कार्यान्वित करने के लिए संभावित दृष्टिकोणों पर मार्गदर्शन करना भी था।

भर्ती और स्टाफ संख्या

XI.36 जनवरी-दिसंबर 2022 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने विभिन्न संवर्गों में कुल 1,121 कर्मचारियों की भर्ती की (सारणी XI.3) है।

XI.37 दिसंबर 2022 के अंत में रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों की कुल संख्या 13,298 थी, दिसंबर 2021 के अंत की स्थिति से इसमें 3.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है (सारणी XI.4)। मार्च 2023 के अंत तक रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों की संख्या 13,815 थी, जिसमें श्रेणी I के 6,858, श्रेणी III के 3,698 और श्रेणी IV के 3,259 कर्मचारी थे।

XI.38 दिसंबर 2022 के अंत तक रिज़र्व बैंक में भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या 1,115 थी, जबकि दिव्यांग कर्मचारियों की कुल संख्या 303 थी (सारणी XI.5)। जनवरी-दिसंबर 2022 के दौरान रिज़र्व बैंक में 56 भूतपूर्व सैनिकों और 23 बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) की भर्ती की गई थी।

सारणी XI. 3 : 2022 में रिज़र्व बैंक द्वारा भर्तियां*

श्रेणी	कुल	*जिसमें से :*			
		एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस
1	2	3	4	5	6
श्रेणी I	52	7	3	17	1
श्रेणी III	378	83	36	87	44
श्रेणी IV	691	51	49	290	79
कुल	**1,121**	**141**	**88**	**394**	**124**

*: जनवरी – दिसंबर। ईडब्ल्यूएस : आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग।
स्रोत: आरबीआई।

सारणी XI.4 : रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों की संख्या*

श्रेणी	कुल संख्या		श्रेणी-वार संख्या						कुल संख्या का प्रतिशत		
			एससी		एसटी		ओबीसी		एससी	एसटी	ओबीसी
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
श्रेणी I	6,598	6,653	1,071	1,048	462	459	1,399	1,544	15.75	6.90	23.21
श्रेणी III	3,337	3,369	489	541	191	228	1,077	1,044	16.06	6.77	30.99
श्रेणी IV	2,921	3,276	648	597	231	250	693	962	18.22	7.63	29.37
कुल	**12,856**	**13,298**	**2,208**	**2,186**	**884**	**937**	**3,169**	**3,550**	**16.44**	**7.05**	**26.70**

*: दिसंबर 2021 की समाप्ति और 2022।

स्रोत : आरबीआई।

XI.39 जनवरी-दिसंबर 2022 के दौरान, रिज़र्व बैंक की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रबंधतंत्र और अखिल भारतीय रिज़र्व बैंक अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) और बौद्ध फेडरेशन के प्रतिनिधियों के बीच चार बैठकें आयोजित की गईं। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ भी दो बैठकें हुईं।

कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिंक उत्पीड़न की रोकथाम

XI.40 1998 से कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम के लिए एक औपचारिक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिंक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम और नियम, 2013 के अनुसार 2014-15 में जारी किए गए दिशानिर्देशों के व्यापक सेट से इस मुद्दे को मजबूती प्रदान की गई। अप्रैल 2022-मार्च 2023 के दौरान, तीन शिकायतें प्राप्त हुईं और छह मामलों का निपटारा किया गया है। नए भर्ती किए गए कर्मचारियों सहित कर्मचारियों को इस बारे में संवेदनशील बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय में इस विषय पर कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। रिज़र्व बैंक की केंद्रीय शिकायत समिति ने कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिंक उत्पीड़न के निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष पर 9वीं अखिल भारतीय संगोष्ठी का आयोजन किया।

सूचना का अधिकार (आरटीआई)

XI.41 रिज़र्व बैंक को आरटीआई अधिनियम के तहत अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के दौरान सूचना के लिए 18,694 अनुरोध और 1,733 अपीलें मिलीं। इस अवधि के दौरान चेन्नई में रिज़र्व

सारणी XI.5: भूतपूर्व सैनिकों और पीडब्ल्यूबीडी की कुल संख्या *

श्रेणी	भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम)	पीडब्ल्यूबीडी (बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति)			
		दृष्टिबाधित (वीआई)	श्रवण बाधित (एचआई)	अस्थि दिव्यांग (ओएच)	बौद्धिक दिव्यांग ('डी')**
1	2	3	4	5	6
श्रेणी I	261	48	6	90	0
श्रेणी III	169	42	2	54	4
श्रेणी IV	685	13	6	38	0

*: दिसंबर 2022 की समाप्ति।

**: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार, पीडब्ल्यूबीडी को इस तरह परिभाषित किया गया है : (क) अंध और निम्न दृष्टि; (ख) बधिर और श्रवणशक्ति में ह्रास; (ग) चलन दिव्यांगता जिसके अंतर्गत प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीड़ित और पेशीय दुष्पोषण (घ) स्वपरायणता, बौद्धिक दिवयांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक रुग्णता; और (ङ) प्रत्येक दिव्यांगता के लिए पहचान किए गए पदों में खंड (क) से (घ) के अधीन व्यक्तियों में से बहुदिव्यांगता जिसके अंतर्गत बधिर-अंधता भी है।

स्रोत: आरबीआई।

बैंक स्टाफ कॉलेज और कोलकाता और चेन्नई में क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा आरटीआई अधिनियम पर चार प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देना

XI.42 वर्षों से, रिज़र्व बैंक सक्रिय रूप से खेलों को बढ़ावा देता रहा है। तद्नुसार, रिज़र्व बैंक नियमित रूप से विभिन्न खेलों के प्रतिभावान खिलाड़ियों की भर्ती करता है और खेलों को बढ़ावा देने के लिए विविध सुविधाएँ प्रदान करता है। रिज़र्व बैंक ने एथलेटिक्स, तीरंदाजी, कुश्ती, क्रिकेट, कबड्डी और मुक्केबाजी सहित विविध खेलों से प्रतिभा खोज तरीके के तहत अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 23 खिलाड़ियों की भर्ती की है। रिज़र्व बैंक ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए एक नई योजना भी शुरू की।

वर्ष 2023-24 के लिए कार्यसूची

XI.43 वर्ष के रोडमैप में विभाग के लिए निम्नलिखित मील के पत्थर शामिल होंगे:-

- सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों के लिए टाउनहॉल बैठकें आयोजित करने के लिए एक सुविचारित नीतिगत ढांचे द्वारा निर्देशित एक मजबूत तंत्र की शुरुआत (*उत्कर्ष* 2.0)।
- आरबीआई (स्टाफ) विनियम, 1948 की व्यापक समीक्षा जो रिज़र्व बैंक के सभी कर्मचारियों की सेवा शर्तों को परिभाषित करती है (*उत्कर्ष* 2.0); और ।
- सभी नई भर्तियों के लिए एक आसान ऑन-बोर्डिंग प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए एक संदर्भ पुस्तिका तैयार करना।

4. *उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन*

XI.44 जोखिम निगरानी विभाग (आरएमडी) रिज़र्व बैंक में उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) के निर्माण और संचालन के लिए नोडल विभाग है। वर्ष के दौरान, विभाग का ध्यान प्रासंगिक नीतियों और रूपरेखाओं के निर्माण के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर रिज़र्व बैंक के आंतरिक जोखिम प्रशासन को मजबूत करने, परिचालन जोखिम और साइबर सुरक्षा जोखिम निगरानी को मजबूत करने, जोखिम विश्लेषण में सुधार करने पर था। इंटीग्रेटेड रिस्क गवर्नेंस डैशबोर्ड और रिस्क टॉलरेंस लिमिट्स (आरटीएल) के निर्माण के माध्यम से रिस्क रिपोर्टिंग को मजबूत करना।

2022-23 के लिए कार्यसूची

XI.45 विभाग ने 2022-23 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- *जोखिम-रेटिंग का सामंजस्य :* जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) के तहत जोखिम मूल्यांकन के साथ परिचालन जोखिम (रैम-ओआर) के लिए जोखिम मूल्यांकन पद्धति के तहत निर्धारित जोखिम-रेटिंग का सामंजस्य और एक संस्थागत फीडबैक लूप बनाना (पैराग्राफ ग्राफ X1.46));
- *जोखिम रजिस्टर मॉड्यूल का स्वचालन :* एकीकृत जोखिम निगरानी और घटना रिपोर्टिंग प्रणाली (आईआरआईएस) पोर्टल में जोखिम रजिस्टर मॉड्यूल के स्वचालन का परिचालन [पैराग्राफ X1.47] ;
- विभिन्न विभागों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मॉडलों के लिए फ्रेमवर्क और आउटसोर्सिंग नीति (पैराग्राफ X1.48); और
- *एप्लिकेशन सुरक्षा को मजबूत करना :* इसमें कार्यात्मक और तकनीकी स्तर पर एप्लिकेशन प्रोफाइलिंग और अनुप्रयोगों के लिए परिधि सुरक्षा (वेब एप्लिकेशन फायरवॉल) की समीक्षा एवं स्थापना करना और एक उचित प्रतिक्रिया ढांचा विकसित करना शामिल होगा

(पैराग्राफ X1.49)।

कार्यान्वयन की स्थिति

जोखिम-रेटिंग का सामंजस्य

XI.46 रिज़र्व बैंक और जोखिम खोज प्रक्रिया के सामने आने वाले विभिन्न जोखिमों पर विचारों के अभिसरण को सक्षम करने के लिए निरीक्षण विभाग और जोखिम प्रबंध विभाग के बीच एक फीडबैक लूप बनाया गया है।

जोखिम रजिस्टर मॉड्यूल का स्वचालन

XI.47 जोखिम रजिस्टर (आरआर) को बनाने, अद्यतन करने और समीक्षा करने की कार्यक्षमता को स्वचालित किया गया और आईआरआईएस पोर्टल में चालू किया गया।

विभिन्न विभागों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मॉडल और आउटसोर्सिंग नीति के लिए रूपरेखा

XI.48 एक उद्यम-व्यापी आउटसोर्सिंग जोखिम प्रबंधन नीति और एक अभिशासन नीति और मॉडल जोखिमों के लिए ढांचा तैयार किया गया है।

एप्लिकेशन सुरक्षा को मजबूत करना

XI.49 रिज़र्व बैंक में विभिन्न आईटी अनुप्रयोगों की प्रोफाइल संकलित की गई है। अनुप्रयोगों के प्रोफाइल में निहित विवरण के आधार पर, उपयोगकर्ताओं, इंटरनेट/इंट्रानेट, आर्किटेक्चर आदि के संपर्क के संदर्भ में रिज़र्व बैंक में आईटी अनुप्रयोगों के वितरण का निर्धारण करने के लिए सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर रिज़र्व बैंक में समीक्षा की गई है। रिज़र्व बैंक में वेब एप्लिकेशन फ़ायरवॉल और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा की गई है।

अन्य पहलें

XI.50 अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर, रिज़र्व बैंक अपने कर्मचारियों के बीच जोखिम संस्कृति को बढ़ावा देने

बॉक्स XI.2
जोखिम संस्कृति को बढ़ावा देना

जोखिम संस्कृति को व्यक्तियों और समूहों के लिए व्यवहार के मानदंडों के रूप में परिभाषित किया गया है जो वर्तमान और भविष्य के जोखिमों को पहचानने और समझने, खुले तौर पर चर्चा करने और कार्य करने की सामूहिक क्षमता निर्धारित करता है। जोखिम संस्कृति प्रबंधन और कर्मचारियों के उनके दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों के दौरान निर्णयों को प्रभावित करती है और उनके द्वारा ग्रहण किए जाने वाले जोखिमों पर प्रभाव डालती है। जोखिम संस्कृति समय, व्यक्ति और इकाई-विशिष्ट है और इस प्रकार मापना मुश्किल है। किसी भी संगठन में, जोखिम संस्कृति निर्माण के लिए अंतर्निहित चक्र मौजूद होता है। किसी भी संगठन की संस्कृति बार-बार किए गए व्यवहार से उत्पन्न होती है, जो संगठन के भीतर लोगों के दृष्टिकोण से आकार लेती है।

किसी संगठन की जोखिम संस्कृति को रेखांकित करने के लिए व्यापक रूप से दो तरह के तत्व होते हैं : (क) संरचनात्मक तत्व जैसे जोखिम ढांचे की प्रभावशीलता, जोखिम प्रबंधक गुणवत्ता, जोखिम प्रशिक्षण गुणवत्ता, ज्ञान और कौशल, पारिश्रमिक और संचार चैनल; और (ख) व्यवहारिक तत्व जैसे व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के जोखिम व्यवहार, संगठन में स्वीकृत जोखिम व्यवहार, निर्णय लेने के पक्षपात, भूमिका-मॉडलिंग, जोखिम और मानवीय कारक और त्रुटियों के प्रति दृष्टिकोण का निर्धारण करती हैं ।

किसी प्रभावी विकसित जोखिम संस्कृति और इसके तत्व संस्था में सभी स्थानों में निर्णय लेने में शामिल होते हैं, इन संरचनात्मक और व्यवहारिक तत्वों को शामिल करते हुए मजबूत तंत्र और तकनीक को स्थापित करने की आवश्यकता है। इस दिशा में पहला कदम जोखिम संस्कृति के विभिन्न तत्वों को और परिभाषित करने और मजबूत जोखिम संस्कृति के विकसित करने के लिए लिए कर्मचारियों की भूमिकाओं/अपेक्षाओं के बारे में पूरी संस्था में जागरूकता पैदा करना होगा। जोखिम संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए रिज़र्व बैंक की रूपरेखा निम्नलिखित चार स्तंभों पर निर्भर होने की परिकल्पना की गई है :

- *जोखिम नेतृत्व (शीर्ष से स्वर) :* प्रबंधन जोखिम प्रबंधन के लिए और उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करने के लिए स्पष्ट अपेक्षाएं और कार्यनीतिक दिशा निर्धारित करता है;
- *जोखिम अभिशासन (जिम्मेदारी और जवाबदेही) :* कर्मचारी/कर्मचारियों का समूह जोखिम प्रबंधन के प्रति अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही को समझता है और प्रबंधन की अपेक्षाओं का पालन करता है। प्रबंधन प्रभावी जोखिम निगरानी और प्रतिसाद को सुनिश्चित करता है;
- *जोखिम संचार (पारदर्शिता और जोखिम सूचित निर्णय) :* ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों तरफ जोखिम सूचना के संचार में पारदर्शिता । व्यापक जोखिम सूचना की उपलब्धता समयबद्ध तरीके और सार्थक प्रारूप में हो। प्रासंगिक निर्णयों पर चर्चा करने के लिए सही मंचों की स्थापना करना; और

(ज़ारी)

- *जोखिम क्षमता (प्रदर्शन और प्रोत्साहन) :* प्रदर्शन और प्रतिभा प्रबंधन नीतियां/प्रक्रियाएं जो इकाई के वांछित जोखिम प्रबंधन व्यवहार के रखरखाव को प्रोत्साहित और सशक्त करती हैं।

रिज़र्व बैंक ने एक प्रभावी आंतरिक जोखिम अभिशासन संरचना सुनिश्चित करने के लिए कई पहलें की हैं, कर्मचारियों के बीच जोखिम संस्कृति को बढ़ावा देने के ढांचे से समग्र जोखिम प्रबंधन को और मजबूत होने की उम्मीद है।

संदर्भ :

वित्तीय स्थिरता बोर्ड, (2014), 'गाइडेंस ऑन सुपरवाइजरी इंटरेक्शन विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑन रिस्क कल्चर : ए फ्रेमवर्क फॉर एसेसिंग रिस्क कल्चर', बीआईएस, अप्रैल।

इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट (2012), 'रिस्क कल्चर : रिसोर्सेज फॉर प्रैक्टिशनर्स', इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, लंदन, यूनाइटेड किंगडम।

के लिए एक रूपरेखा तैयार करने की प्रक्रिया में है (बॉक्स XI.2)।

2023-24 *के लिए कार्यसूची*

XI.51 विभाग के लिए वर्ष हेतु निम्नलिखित लक्ष्य प्रस्तावित किए गए हैं :

- *घटना रिपोर्टिंग और जोखिम रजिस्टर फ्रेमवर्क की समीक्षा :* घटना रिपोर्टिंग और जोखिम रजिस्टर के मौजूदा ढांचे की समीक्षा की जाएगी ताकि व्यावसायिक क्षेत्रों को प्राथमिक जोखिम संकेतकों की पहचान करने और परिदृश्य विश्लेषण के साथ जोखिमों का पूर्वानुमान करने में सक्षम बनाया जा सके;
- *जोखिम अधिकारियों के लिए निर्देशों की पुस्तिका तैयार करना :* जोखिम अधिकारियों को उनके कार्यस्थल में जोखिम प्रबंधकों के रूप में उनकी भूमिका निभाने में मार्गदर्शन करने के लिए एक पुस्तिका तैयार की जाएगी;
- विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए प्रमुख जोखिम संकेतकों का निर्माण और ट्रांसवर्सल जोखिमों[2] के प्रबंधन के लिए एक रूपरेखा; और
- *भेद्यता मूल्यांकन और प्रवेश परीक्षण (वीएपीटी) नीति 2019 की समीक्षा :* मौजूदा वीएपीटी नीति की समग्र समीक्षा की जाएगी, जिसमें वीएपीटी के दृष्टिकोण, अनुपालन, मानकों, उपकरणों और जोखिम स्वीकृति जैसे पहलुओं को शामिल किया जाएगा। समीक्षा में अनुप्रयोगों की परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और अनुपालन निगरानी प्रणाली का संचालन भी शामिल होगा।

5. आंतरिक लेखापरीक्षा / निरीक्षण

XI.52 रिज़र्व बैंक का निरीक्षण विभाग आंतरिक नियंत्रण और अभिशासन प्रक्रियाओं की जांच, मूल्यांकन और रिपोर्ट करता है और जोखिम-आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) ढांचे के माध्यम से शीर्ष प्रबंधन और केंद्रीय बोर्ड को जोखिम आश्वासन प्रदान करता है। इस प्रकार, विभाग रिज़र्व बैंक में उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) कार्य के तहत रक्षा की तीसरी पंक्ति (अर्थात आश्वासन) के रूप में कार्य करता है, जबकि आरएमडी, रक्षा की दूसरी पंक्ति[3] के रूप में, जोखिम निगरानी समिति (आरएमसी) और केंद्रीय बोर्ड की लेखा परीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस) को जोखिमों की रिपोर्टिंग सहित प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के कार्यान्वयन की निगरानी और सुविधा प्रदान करता है। विभाग रिज़र्व बैंक में समवर्ती लेखा परीक्षा (सीए) प्रणाली और नियंत्रण स्व-मूल्यांकन लेखा परीक्षा (सीएसएए) के कामकाज की भी देखरेख करता है। आरबीआईए, सीए, और सीएसएए कार्य ऑडिट प्रबंधन और जोखिम निगरानी प्रणाली (एएमआरएमएस, नामक एक स्वचालित प्रणाली के माध्यम से किए जाते हैं। विभाग

[2] ऐसे जोखिम जो अनेक व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए समान गतिविधियों / प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं अथवा जिनका कार्यान्वयन संबंधित क्षेत्र अथवा प्रक्रिया से परे एक साथ विभिन्न कार्यों, क्षेत्रों या गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है।

[3] प्रभावी जोखिम प्रबंधन और अभिशासन के लिए रक्षा मॉडल की तीन पंक्तियों के तहत, रक्षा की पहली पंक्ति प्रबंधन नियंत्रण और आंतरिक नियंत्रण उपाय है, जबकि रक्षा की दूसरी पंक्ति में प्रबंधन द्वारा स्थापित विभिन्न जोखिम नियंत्रण, अनुपालन और निरीक्षण कार्य शामिल हैं और रक्षा की तीसरी पंक्ति आंतरिक लेखा परीक्षा है।

केंद्रीय बोर्ड की लेखा परीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करता है और आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य की देखरेख में कार्यपालक निदेशकों की समिति (ईडीसी) के लिए भी कार्य करता है।

2021-23 के लिए कार्यसूची

XI.53 विभाग ने 2022-23 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे :

- आरएमडी के साथ फीडबैक लूप के लिए एक रूपरेखा तैयार करना ताकि समग्र परिचालन जोखिमों (*उत्कर्ष*) पर लगभग अभिसरण परिणाम प्राप्त किए जा सकें [पैराग्राफ XI.54];
- डेटा माइनिंग और विश्लेषण उद्देश्यों के लिए और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के लिए दृश्य विश्लेषिकी रिपोर्ट का पूर्ण विकास और सृजन ([*उत्कर्ष*) [पैराग्राफ XI.54];
- आंतरिक कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) की सिफारिशों के आधार पर संशोधित जोखिम रेटिंग और स्कोरिंग मॉडल का कार्यान्वयन [पैराग्राफ XI. 54];
- आरबीआईए को अधिक जोखिम केंद्रित बनाना (*उत्कर्ष*)[पैराग्राफ XI.54];
- प्राथमिकता के क्षेत्र के रूप में विशेषज्ञता और क्षमता निर्माण का के प्रति उन्मुख रहना (*उत्कर्ष*)[पैराग्राफ XI.54];
- विभागों के विशेष क्षेत्रों के निरीक्षण के लिए कुशल अधिकारियों की तैनाती के लिए एक रूपरेखा विकसित करना (*उत्कर्ष*)[पैराग्राफ XI.54]; और
- लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा अनुपालन की गुणवत्ता की गहन निगरानी के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आंचलिक निरीक्षणालयों (जेडआई) का सृजन और निरीक्षण विभाग को स्वतंत्र रिपोर्टिंग के साथ विभिन्न प्रकार के ऑडिट के कवरेज की पर्याप्तता ज्ञात करना है। (*उत्कर्ष*) [पैराग्राफ XI.55];

कार्यान्वयन की स्थिति

XI.54 अगस्त 2021 में गठित आंतरिक कार्य समूह (आईडब्ल्यूआईजी) की सिफारिश के अनुसार ''जोखिम-आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) और संबंधित मुद्दों की वर्तमान प्रक्रियाओं की समीक्षा'' करने के लिए जोखिम निगरानी विभाग और निरीक्षण विभाग के बीच एक फीडबैक लूप बनाया गया है जिससे रिज़र्व बैंक के विभिन्न जोखिमों पर एक अभिसरण दृष्टिकोण और रक्षा की दूसरी और तीसरी पंक्ति के बीच अधिक तालमेल की सुविधा को बेहतर किया जा सके । इसके अलावा, एमआईएस को मजबूत करने के लिए विभाग ने चुनिंदा केंद्रीय कार्यालय विभागों (सीओडी)/आरओ/टीई के परामर्श से लेखापरीक्षित कार्यालयों के लिए एक 'ऑफसाइट मॉनिटरिंग टेम्प्लेट' (ओएमटी) तैयार किया है। अब तक, ओएमटी में 26 डेटा बिंदु शामिल हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न ऑडिट, जोखिम रजिस्टर, जोखिम सहिष्णुता सीमा (आरटीएल) के उल्लंघन, घटना की रिपोर्टिंग, लंबित स्थिति, बजट, व्यापार निरंतरता योजना, परियोजना और नीति कार्यान्वयन के महत्वपूर्ण विवरणों को लेकर करते हैं। टेम्प्लेट 2023 की पहली तिमाही से लागू किया गया था। आईडब्ल्यूआईजी की एक और प्रमुख सिफारिश संशोधित जोखिम रेटिंग और स्कोरिंग मॉडल के माध्यम से आरबीआईए को अधिक जोखिम केंद्रित बनाने की थी। तद्नुसार, जोखिमों को अब छह श्रेणियों (अर्थात्, लोगों के जोखिम, बीसीएम जोखिम, कानूनी जोखिम, प्रक्रिया जोखिम, प्रौद्योगिकी जोखिम और अन्य) के तहत वर्गीकृत किया गया है और एएमआरएमएस पोर्टल में आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं जिससे उन्हें संभावित रूप से दर्शाया जा सके। समिति की अन्य सिफारिशें जैसे क्षमता निर्माण के लिए प्रधान निरीक्षण अधिकारियों (पीआईओ)/निरीक्षण अधिकारियों (आईओ) के लिए अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, विशेष क्षेत्रों में अनुभवी अधिकारियों की मांग और निरीक्षण विभाग में पोस्टिंग के लिए संभावित प्रोत्साहन संरचना, भाग के रूप में कुशल

अधिकारियों की तैनाती के लिए एक रूपरेखा विकसित करने का भी कार्यान्वयन किया जा रहा है।

XI.55 आरबीआईए की वर्तमान प्रक्रियाओं की समीक्षा करने के लिए आईडब्ल्यूआईजी की सिफारिशों के अनुसार, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, चेन्नई, मुंबई और नई दिल्ली के क्षेत्रीय कार्यालयों में पांच आंचलिक निरीक्षणालय स्थापित किए गए हैं, जिसका उद्देश्य मौजूदा आंतरिक नियंत्रण को और मजबूत करना, विभिन्न प्रकार के लेखापरीक्षाओं के कवरेज की पर्याप्तता और विभिन्न आंतरिक लेखापरीक्षाओं के अनुपालन की गुणवत्ता सुनिश्चित करके निरीक्षण विभाग के अधिदेश को पूरा करने में सहायता प्रदान करना, रिज़र्व बैंक के विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों के संचालन पर शीर्ष प्रबंधतंत्र को स्वतंत्र और उद्देश्यपूर्ण आश्वासन प्रदान करना है।

प्रमुख उपलब्धियां

निरीक्षण मैनुअल

XI.56 एक व्यापक निरीक्षण मैनुअल तैयार किया गया है और इसे 2023-24 की पहली तिमाही में जारी किया जाना है।

अनुपालन लेखापरीक्षा

XI.57 आरबीआईए में की गई टिप्पणियों के संबंध में प्रस्तुत अनुपालन की गुणवत्ता और निरंतरता को सत्यापित करने के लिए, एक निर्धारित मानदंड[4] के आधार पर चुनिंदा कार्यालयों के लिए अनुपालन ऑडिट की अवधारणा को वर्ष के दौरान पेश किया गया था। लेखापरीक्षा चक्रों के बीच में की गई ऐसी लेखापरीक्षाओं ने, न केवल अनुपालन के बनाए रखने /गैर-निरंतरता का परीक्षण किया, बल्कि जरूरत पड़ने पर सुधारात्मक उपायों के लिए अलर्ट भी जारी किया। अनुपालन लेखापरीक्षा पर निरीक्षण अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई है। विभाग ने 31 मार्च 2023 तक सात अनुपालन ऑडिट किए।

विषयगत अध्ययन

XI.58 विभाग ने समय पर समाधानपरक उपायों का सुझाव देने और सुविधा प्रदान करने के लिए प्रणालीगत मुद्दों की गहन जांच करने और उनकी पहचान करने के लिए संबंधित केंद्रीय कार्यालय विभाग/विभागों के परामर्श से कुछ महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्रों पर 'विषयगत अध्ययन' करने का निर्णय लिया। तदनुसार, विभिन्न नीतिगत पहलुओं के कार्यान्वयन में स्थिरता और सीओडी/आरओ में उनकी प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए विषयगत अध्ययन करने के लिए एक मानक संचालन

बॉक्स XI.3
आंचलिक निरीक्षणालय (ज़ेडआई)

'आंतरिक कार्य समूह (आईडब्ल्यूआईजी) द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार जोखिम-आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) और संबंधित मुद्दों' की वर्तमान प्रक्रियाओं की समीक्षा करने के लिए पांच केंद्रों (अर्थात, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, चेन्नई, मुंबई और नई दिल्ली) में आंचलिक निरीक्षणालय (ज़ेडआई) स्थापित किए गए हैं। इससे जोखिम-आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) स्व-मूल्यांकन ऑडिट (सीएसएए), समवर्ती ऑडिट (सीए) और अन्य प्रकार के ऑडिट के अनुपालन की गुणवत्ता और विभिन्न ऑडिट की पर्याप्तता और कवरेज की बारीकी से निगरानी की जा सकेगी।

बोर्ड और शीर्ष प्रबंधन को एक स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठपरक जोखिम आश्वासन प्रदान करने के अपने अधिदेश को पूरा करने में निरीक्षण विभाग की सहायता करते हुए, आंचलिक निरीक्षणालय की परिकल्पना निरीक्षण विभाग की विस्तारित शाखा और विशेषज्ञताप्राप्त केंद्रों के रूप में की गई है।

इसके अलावा, आंचलिक निरीक्षणालय आंतरिक नियंत्रण के पांच तत्वों अर्थात, नियंत्रण वातावरण को मजबूत करना, जोखिम मूल्यांकन में सुधार करना, सूचना और संचार के निर्बाध प्रवाह को सुविधाजनक बनाना, निगरानी गतिविधियों को बढ़ाना और नियंत्रण प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता में सुधार को सुदृढ़ करने में अपने अधिकार क्षेत्र के तहत कार्यालयों की सहायता करेंगे।

स्रोत : आरबीआई।

[4] अनुपालन लेखापरीक्षा उन लेखापरीक्षा कार्यालयों के लिए आयोजित की जाती है जिन्हें आरबीआईए के पिछले चक्र के दौरान 'उच्च जोखिम' के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की गई थी और उपयुक्त नीति को सुगम बनाने के उद्देश्य से नीति/मानकों में अंतराल की पहचान करने के लिए भी संबंधित विभाग/विभागों द्वारा किया जा रहा है। विभाग विषयगत अध्ययन के लिए एसओपी के अनुसार चयन मानदंडों के आधार पर विषयगत अध्ययन करेगा।

2023-24 *के लिए कार्यसूची*

XI.59 विभाग वर्ष के दौरान निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा :

- 2022-23 के दौरान शुरू किए गए उपायों के अनुसार आरबीआईए को अधिक जोखिम केंद्रित बनाना (*उत्कर्ष 2.0*);
- जोखिम आश्वासन पर सामग्री योगदान के लिए आंचलिक निरीक्षणालय के कामकाज का स्थिरीकरण;
- एमआईएस के लिए डैशबोर्ड और विजुअल एनालिटिक्स रिपोर्ट का विकास करना (*उत्कर्ष* 2.0);
- एएमआरएमएस में ऑफसाइट रिपोर्टिंग की स्थापना और फीडबैक लूप के लिए ढांचा बनाना (*उत्कर्ष* 2.0);
- आरबीआईए के उच्च और मध्यम जोखिम वाले पैरा का रेडी रेकनर बनाना (*उत्कर्ष* 2.0) ;
- अनुपालन लेखापरीक्षा और परियोजना लेखापरीक्षा के लिए विभिन्न मॉड्यूल का विकास (*उत्कर्ष* 2.0);
- सांख्यिकीय विश्लेषिकी प्रणाली (एसएएस) का उन्नयन - एंटरप्राइज गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस (ईजीआरसी) 6.1 से एसएएस - गवर्नेंस एंड कंप्लायंस मैनेजर (जीसीएम) 7.4 प्लेटफॉर्म, 2,000 उपयोगकर्ता लाइसेंस वाले एएमआरएमएस के लिए; और
- बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) के तत्वावधान में सेंट्रल बैंकिंग इंटरनल ऑडिटर्स (सीबीआईए) के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करना।

6. कॉरपोरेट कार्यनीति और बजट प्रबंधन

XI.60 कॉरपोरेट कार्यनीति और बजट विभाग (सीएसबीडी) रिज़र्व बैंक के मध्यम अवधि के कार्यनीति ढांचे (*उत्कर्ष*) का समन्वय और सृजन करता है, इसका वार्षिक बजट तैयार करता है और बजटीय अनुशासन सुनिश्चित करने की दृष्टि से इसके व्यय की निगरानी करता है। विभाग अपने महत्वपूर्ण परिचालनों के लिए रिज़र्व बैंक की व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) भी तैयार और कार्यान्वित करता है और रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तपोषित बाहरी संस्थानों के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है।

XI.61 वर्ष के दौरान, जनवरी 2023 से दिसंबर 2025 की अवधि के लिए रिज़र्व बैंक का मध्यावधि कार्यनीति ढांचा तैयार किया गया और लॉन्च किया गया। रिज़र्व बैंक के व्यापार निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) ढांचे के लिए नोडल विभाग होने के कारण सीएसबीडी ने रिज़र्व बैंक में महत्वपूर्ण प्रणालियों और व्यापार प्रक्रियाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने में वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा। बायो-बबल व्यवस्था को समाप्त करने पर, यह सुनिश्चित किया गया कि महामारी की भविष्य की लहरों के मामले में व्यापार निरंतरता के लिए तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं मौजूद हैं। बीसीएम नीति और समय संवेदनशील महत्वपूर्ण गतिविधियों (टीएससीए) के अद्यतन सहित सभी व्यावसायिक इकाइयों के बीसीपी की समीक्षा करके व्यापार निरंतरता ढांचे को मजबूत किया गया है।

XI.62 कॉरपोरेट कार्यनीति और बजट विभाग के वार्षिक सम्मेलन में 17 फरवरी 2023 को डॉ. माइकल देवव्रत पात्रा, उप गवर्नर द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए व्यापार निरंतरता उपायों पर एक कंपेंडियम जारी किया

था। इसमें उस अभूतपूर्व पैमाने और गति पर प्रकाश ड़ाला गया जिससे रिज़र्व बैंक ने लोगों के जीवन और आजीविका की सुरक्षा के लिए क्रॉस-फंक्शनल प्रतिक्रिया जैसे पारंपरिक और अपरंपरागत दोनों तरह के सौ से अधिक उपायों को लागू करने के प्रयास किए, जिसके तहत अपने महत्वपूर्ण कार्यों का निर्बाध संचालन सुनिश्चित करना और व्यवसाय की निरंतरता बनाए रखना; और अपने कर्मचारियों, सेवा प्रदाताओं और अन्य हितधारकों का समर्थन करना शामिल है। वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए सतर्क रहने के साथ-साथ ये प्रयास सक्रिय और अभिनव थे।

XI.63 बाहरी वित्तपोषित संस्थानों (ईएफआई) के निरीक्षण के संबंध में, विभाग ने उनके शासी बोर्डों और उप-समितियों की बैठकों की सुविधा प्रदान करके, उनकी समीक्षा समितियों की सिफारिशों को लागू करके और रिक्तियां होने पर निदेशकों का चयन करके उनके अभिशासन को सुदृढ़ किया। वर्ष के दौरान, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (आईजीडीआर) के लिए आईजीडीआर और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नियमों और विनियमों के अनुसार एक नए निदेशक की नियुक्ति वर्तमान निदेशक के कार्यकाल के अंत में की गई थी।

XI.64 विभाग रिज़र्व बैंक की विभिन्न अधिवर्षिता निधियों का रखरखाव करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 की उप-धारा (2) के खंड (जे) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार और केंद्रीय बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से 2020-21 से प्रभावी भारतीय रिज़र्व बैंक के लेखा वर्ष में परिवर्तन के कारण कर्मचारी ग्रेच्युटी और अधिवर्षिता निधि विनियमन, 1975 में संशोधन किए गए। उचित बजट अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए सीमा से अधिक बजट के कम उपयोग के लिए 'घटना रिपोर्टिंग' की प्रणाली में शामिल करते हुये सभी बजट इकाइयों के लिए एक बजट रेटिंग ढांचा स्थापित किया गया।

2022-23 के लिए कार्यसूची

XI.65 2022-23 के लिए, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- कुशल और प्रभावी बजट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए बजट इकाइयों की रेटिंग के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत करना (*उत्कर्ष*) पैराग्राफ ग्राफ XI.66];
- 2023-25 की अवधि के लिए कार्यनीति की रूपरेखा *'उत्कर्ष 2.0'* को तैयार करना, अंतिम रूप देना और लॉन्च करना (पैराग्राफ XI.67);
- 'अदावीकृत भविष्यनिधि खातों' में संचालन को सुव्यवस्थित करना (पैराग्राफ XI.68); और
- भारतीय रिज़र्व बैंक की व्यय नियमावली की समीक्षा (पैराग्राफ XI.69)।

XI.68 'अदावीकृत पीएफ खातों' के रखरखाव को सुव्यवस्थित करने और रिज़र्व बैंक में अपनाई जाने वाली प्रथाओं में एकरूपता लाने के लिए, मई 2022 में संशोधित निर्देश जारी किए गए थे।

XI.69 विभिन्न बजट इकाइयों से मंतव्य मांगकर भारतीय रिज़र्व बैंक व्यय नियमावली, 2018 की समीक्षा आरंभ की गई है और विभाग वर्तमान व्यय नियमों में किए जाने वाले संशोधनों को समेकित करने की प्रक्रिया में है, जिसके मार्च 2024 तक पूरा किए जाने की अपेक्षा है।

2023-24 के लिए कार्यसूची

XI.70 वर्ष के लिए विभाग की कार्यसूची में निम्नलिखित शामिल हैं:

- भारतीय रिज़र्व बैंक व्यय नियमों का संशोधन (*उत्कर्ष 2.0*);
- रिज़र्व बैंक की व्यावसायिक इकाइयों के लिए व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) कार्यनिष्पादन मूल्यांकन टेम्पलेट तैयार करना; और
- भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि विनियम, 1935 की समीक्षा

बॉक्स XI.4
उत्कर्ष 2.0 : रिज़र्व बैंक का मध्यम अवधि कार्यनीति फ्रेमवर्क

रिज़र्व बैंक ने जुलाई 2019 में मध्यम अवधि की कार्यनीति रूपरेखा *उत्कर्ष* 2022 शुरू की थी। इसने कोविड-19 महामारी और भू-राजनीतिक युद्धस्थिति से उत्पन्न अशांत हालात से निकलते हुए अपने लक्ष्य को साकार करने की दिशा में रिज़र्व बैंक को आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन किया। चूंकि *उत्कर्ष* 2022 का कार्यकाल दिसंबर 2022 में समाप्त हो गया था, 2023-25 की अवधि के लिए 30 दिसंबर 2022 को एक नए कार्यनीति ढांचा, *अर्थात उत्कर्ष* 2.0 को लॉन्च किया गया था।

उत्कर्ष 2022 के छह विज़न कथनों के साथ-साथ मुख्य उद्देश्यों, मूल्यों और मिशन (चार्ट 1) को बनाए रखते हुए *उत्कर्ष* 2.0 की क्षमताओं का उपयोग करता है, जो सामूहिक रूप से नीतिगत मार्गदर्शक पथ (माइलस्टोन) तैयार करता है।

उत्कर्ष 2.0 के तहत बनाए गए लक्ष्य बॉटम-अप दृष्टिकोण के माध्यम से तैयार किए गए हैं जो प्रत्येक विभाग के विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों को समाहित करते हैं, उन्हें संस्थान के लक्ष्यों में एकीकृत करते हैं।

उत्कर्ष 2.0 का उद्देश्य आउटरीच के लिए नए तरीकों और स्पर्श बिंदुओं को शामिल करके, प्रभावी उपयोगकर्ता इंटरफेस के माध्यम से सूचना प्रसार में आसानी, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्व स्थापित करके और आंतरिक शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करके रिज़र्व बैंक में जनता के विश्वास और विश्वसनीयता को बढ़ाना है। यह परिकल्पित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सक्षम डिजिटल और भौतिक बुनियादी ढांचे और गतिशील तथा अभिनव मानव पूंजी बनाने का भी प्रयास करता है।

कुशल निगरानी के साथ-साथ बीच-बीच में स्थिति की समीक्षा करने एवं आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्रवाई करना ही उत्कृष्टता की दिशा में अपनी यात्रा को बनाए रखने के लिए रिज़र्व बैंक की कार्यनीति के रूप में *उत्कर्ष 2.0* की पहचान होगी।

चार्ट 1: *उत्कर्ष* 2.0

स्रोत: आरबीआई।

स्रोत : आरबीआई

7. राजभाषा

XI.71 राजभाषा विभाग को राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976, भारत के राष्ट्रपति के आदेशों और भारत सरकार और संसदीय राजभाषा समिति के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विभाग ने स्टाफ सदस्यों को हिंदी प्रशिक्षण प्रदान करने, पत्राचार और आंतरिक कार्यों में हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के लिए व्याख्यान और वेबिनार और कई कार्यक्रमों का आयोजन करके और हितधारकों को विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से हिंदी में अपना काम करने के लिए प्रोत्साहित करके द्विभाषीकरण की आवश्यकताओं के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया है। रिज़र्व बैंक की वेबसाइट के द्विभाषीकरण को सुनिश्चित करने के लिए, विभाग की एक समीक्षा समिति और एक आंतरिक उप-समिति है जो नियमित रूप से निगरानी करती है और राजभाषा नीति और राजभाषा के वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों और भारत सरकार द्वारा जारी अन्य निर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित करती है। वैधानिक आवश्यकताओं को लागू करने के अलावा, विभाग ने *'कृति अनुकृति'*, *'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन'*, परिपत्रों का संग्रह और संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण पर एक पुस्तिका प्रकाशित की है। इस प्रकार, विभाग ने राजभाषा प्रावधानों के

कार्यान्वयन की दिशा में ठोस प्रयास किए हैं और रिज़र्व बैंक के कामकाज के सभी क्षेत्रों में हिंदी के उपयोग के लिए एक अनुकूल वातावरण भी बनाया है।

2022-23 के लिए कार्यसूची

XI.72 विभाग ने 2022-23 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं :

- दिसंबर 2023 तक 'बैंकिंग *शब्दावली*' के एक नए संस्करण का प्रकाशन (*उत्कर्ष*) [पैराग्राफ XI.73];
- भारत सरकार द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम और अन्य अनुदेशों के अनुसार राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए रिज़र्व बैंक की वार्षिक कार्य योजना तैयार करना (पैराग्राफ XI.74);
- हिंदी के उपयोग के संबंध में कार्यान्वयन की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए राजभाषा अधिकारियों के साथ क्षेत्रवार समीक्षा बैठकें आयोजित करना (पैराग्राफ XI.75); और
- राजभाषा अधिकारियों के लिए उनके अनुवाद कौशल को उन्नत करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना (पैराग्राफ XI.76)

कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति

XI.73 दिसंबर 2023 तक बैंकिंग शब्दावली का एक नया संस्करण प्रकाशित करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए एक अंतर-संस्थागत समिति का गठन किया गया है। वर्ष के दौरान, समिति की तीन बैठकें आयोजित की गई हैं और इन बैठकों के दौरान व्यापक विचार-विमर्श के बाद शब्दावली के नए संस्करण के लिए कई नए बैंकिंग और वित्तीय पारिभाषिक शब्दों को अंतिम रूप दिया गया है। इस लक्ष्य को *उत्कर्ष 2.0* के भाग के रूप में 2023-24 तक आगे बढ़ाया गया है (पैराग्राफ 81)।

XI.74 गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, भारत सरकार आधिकारिक कार्य करने के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार करता है जिसमें राजभाषा संबंधी प्रावधानों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न लक्ष्य दिए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए सभी निर्देशों और कार्यान्वयन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, विभाग द्वारा एक विस्तृत 'वार्षिक कार्य योजना 2022-23' तैयार की गई थी। यह लक्ष्य-आधारित व्यापक कार्य योजना 20 अप्रैल 2022 को प्रकाशित की गई थी और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों / केंद्रीय कार्यालय के विभागों को परिचालित की गई थी।

XI.75 हिंदी के उपयोग के संबंध में निगरानी प्रणाली को मजबूत करने के लिए, क्षेत्र क, ख और ग में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात राजभाषा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें क्रमशः 26 जून 2022, 12 सितंबर 2022 और 8 दिसंबर 2022 को आयोजित की गई थीं। इसी तरह, 22-23 अगस्त 2022 के दौरान केंद्रीय कार्यालय विभागों में तैनात राजभाषा अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी।

XI.76 14-16 नवंबर 2022 के दौरान आरबीएससी, चेन्नई में अनुवाद पर राजभाषा अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कुल 23 राजभाषा अधिकारियों ने भाग लिया था।

प्रमुख गतिविधियां

XI.77 17-19 फरवरी 2023 के दौरान विशाखापत्तनम में राजभाषा अधिकारियों के लिए एक राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें *आजादी का अमृत महोत्सव* वर्ष की पृष्ठभूमि में स्वतंत्र भारत में हिंदी की आवश्यकता, हिंदी के प्रगतिशील उपयोग में अनुवाद के महत्व और कार्यस्थल पर हिंदी उपयोग के व्यावहारिक पहलुओं पर शोधपत्र प्रस्तुत किए गए थे और व्यापक विचार-विमर्श किया गया था।

XI.78 *हिंदी दिवस* 2022 के अवसर पर अर्थात 14 सितंबर 2022 को सभी केंद्रीय कार्यालय के विभागों/क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आयोजित हिंदी सप्ताह/पखवाड़े/माह के दौरान हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्टाफ सदस्यों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं/संगोष्ठियों/व्याख्यानों/अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

माननीय संसदीय राजभाषा समिति का दौरा

XI.79 माननीय संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति ने 5 जुलाई 2022, 8 अक्टूबर 2022 और 17 जनवरी 2023 को क्रमशः जम्मू क्षेत्रीय कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय और भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय का निरीक्षण किया।

प्रकाशन

XI.80 रिज़र्व बैंक के सांविधिक प्रकाशन अर्थात वार्षिक रिपोर्ट, मौद्रिक नीति रिपोर्ट, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट और वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, साप्ताहिक सांख्यिकीय अनुपूरक और भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन जैसे अन्य प्रकाशन द्विभाषी रूप में प्रकाशित किए गए और ये रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। कर्मचारियों के लिए हिंदी में रचनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, एक अर्द्धवार्षिक ई-पत्रिका *'कृति-अनुकृति'* (पूर्व में 'राजभाषा समाचार') प्रकाशित की गई। विभाग द्वारा बैंकिंग और वित्त संबंधी विषयों पर लेखों को कवर करते हुए हिंदी जर्नल *'बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन'* का नया संस्करण भी प्रकाशित किया गया था।

2023-24 के लिए कार्यसूची

XI.81 वर्ष के दौरान, विभाग निम्नलिखित लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की विभाग की योजना है:

- दिसंबर 2023 तक 'बैंकिंग शब्दावली' का एक नया संस्करण प्रकाशित करना (*उत्कर्ष 2.0*)

8. परिसर विभाग

XI.82 परिसर विभाग का दृष्टिकोण उच्चतम स्तर की स्वच्छता सुनिश्चित करते हुए रिज़र्व बैंक के परिसर में ग्रीन रेटिंग के साथ वास्तुशिल्प उत्कृष्टता और सुंदरता को एकीकृत करके 'श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ' और पर्यावरण के अनुकूल भौतिक बुनियादी ढांचा प्रदान करना है।

2022-23 के लिए कार्यसूची

XI.83 विभाग ने 2022-23 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे :

- *उत्कर्ष* 2022 के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना (पैराग्राफ XI.84);
- सीएएफआरएएल[5] और देहरादून कार्यालय परियोजनाओं का निर्माण पूरा करना (पैराग्राफ XI.85);
- रांची और शिलांग कार्यालय भूखंडों पर चारदीवारी का निर्माण पूरा करना (पैराग्राफ XI.86);
- देहरादून में आवासीय परिसर का निर्माण शुरू करना (पैराग्राफ XI.87);
- केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित करना और पणजी में कार्यालय भवन परियोजना शुरू करने के लिए सक्षम कार्य करना (पैराग्राफ XI.88);
- सीपीडब्ल्यूडी के साथ समझौता ज्ञापन के निष्पादन को पूरा करना और मुंबई में चकाला, मलाड चरण-I और तपोवन में आवासीय परिसरों के कार्यों को शुरु करना (पैराग्राफ XI.89);
- नया रायपुर में कार्यालय परिसर और मुंबई (खारघर) में आवासीय-सह-आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र परियोजना के निर्माण को आगे बढ़ाना [पैराग्राफ XI.90];

[5] उन्नत वित्तीय अनुसंधान और शिक्षा केंद्र (कैफराल)

- प्रमुख परियोजनाओं की निगरानी के लिए उद्यम परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन को सुदृढ़ और स्थिर करना (पैराग्राफ XI.91); और
- *उत्कर्ष* डेटा के ऑनलाइन समेकन और विश्लेषण और अन्य हरित पहलों पर जानकारी और आरओ से प्राप्त ऊर्जा / जल लेखा परीक्षा रिपोर्ट (पैराग्राफ XI.91) के लिए ग्रीन डेटा प्लेटफॉर्म को मजबूत और स्थिर करना

कार्यान्वयन की स्थिति

XI.84 विभाग ने न केवल *उत्कर्ष* के तहत लक्ष्यों को हासिल किया है, बल्कि वास्तव में, उन्हें पार कर लिया है। (i) दिसम्बर-2022 तक संचयी रूप से कम से कम छह कार्यालय भवनों और 26 आवासीय भवनों के लिए जीआरआईएचए/ आईजीबीसी[6] से संगत ग्रीन रेटिंग प्राप्त करने के लक्ष्य की तुलना में, दिसंबर-2022 तक कुल 11 कार्यालय भवनों और 24 आवासीय भवनों के लिए आईजीबीसी से ग्रीन रेटिंग प्राप्त हुई है; (ii) रिज़र्व बैंक के सभी परिसरों द्वारा नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत खपत के जून-2018 के स्तर का 6.0 प्रतिशत प्राप्त करने के लक्ष्य की तुलना में दिसंबर-2022 को नवीकरणीय से प्राप्त कुल ऊर्जा 6.6 प्रतिशत थी; (iii) रिज़र्व बैंक ने 5.0 प्रतिशत (आधार वर्ष जून-2018) के लक्ष्य की तुलना में दिसंबर-2022 तक 13.9 प्रतिशत की ऊर्जा बचत प्राप्त की; और (iv) दिसंबर-2022 तक जल संरक्षण/बचत 10 प्रतिशत (आधार वर्ष जून-2018) के लक्ष्य की तुलना में 23.9 प्रतिशत थी।

XI.85 31 मार्च 2023 तक, सीएएफआरएएल भवन परियोजना को पूरा करने की वास्तविक प्रगति 63.0 प्रतिशत है। देहरादून कार्यालय परियोजना के संबंध में, वास्तविक प्रगति 98.0 प्रतिशत है और परियोजना के 2023-24 में पूरा होने की अपेक्षा है।

XI.86 रांची कार्यालय प्लॉट और शिलांग कार्यालय प्लॉट पर चारदीवारी का कार्य प्रगति पर है।

XI.87 देहरादून में आवासीय परिसर के लिए स्थानीय प्राधिकरण से भवन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है और निविदा तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

XI.88 पणजी में कार्यालय भवन के लिए सीपीडब्ल्यूडी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित किया गया है और परियोजना के लिए वास्तुकार की नियुक्ति सहित सभी संबद्ध कार्य पूरे कर लिए गए हैं। निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

XI.89 मुंबई में चकाला, मलाड चरण-I, तपोवन, माहिम और शिवड़ी में आवासीय परिसरों के लिए सीपीडब्ल्यूडी के साथ परियोजना-विशेष समझौता ज्ञापन निष्पादित किए गए हैं; इन सभी परियोजनाओं के लिए ढ़ांचा मैपिंग और मिट्टी की जांच से संबंधित कार्य पूरे कर लिए गए हैं; और परियोजना-विशेष वास्तुकारों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रगति पर है।

XI.90 नया रायपुर में कार्यालय परिसर का निर्माण शुरू हो गया है और मार्च 2023 के अंत तक वास्तविक प्रगति 53.0 प्रतिशत है। मुंबई (खारघर) में आवासीय-सह-आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र परियोजना के लिए, सीपीडब्ल्यूडी ने ठेकेदार की नियुक्ति के लिए निविदा जारी की है और निर्माण अप्रैल 2023 में शुरू हुआ है।

XI.91 उद्यम परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर कार्यान्वित हो गया है और क्षेत्रीय कार्यालय इसमें नियमित रूप से परियोजनाओं की स्थिति को अद्यतन कर रहे हैं। ग्रीन डेटा प्लेटफॉर्म समय-समय पर नई विशेषताओं को जोड़ने के साथ पूरी तरह से कार्यान्वित है और इसका उपयोग *उत्कर्ष* डेटा के समेकन और विश्लेषण के साथ-साथ ऊर्जा / जल संरक्षण पहलों (*उत्कर्ष* के अलावा) को

[6] ग्रीन रेटिंग फॉर इंटिग्रेटेड हैबीटेड असेसमेंट (जीआरआईएचए) / इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी)

समेकित और निगरानी करने और विभिन्न लेखा परीक्षा (विद्युत सुरक्षा, ऊर्जा और जल लेखा परीक्षा) टिप्पणियों से सृजित कार्रवाई बिंदुओं के अनुपालन के लिए किया जा रहा है।

प्रमुख गतिविधियां

निर्माण संबंधी गतिविधियां

XI.92 चेंबूर, मुंबई में नालंदा अधिकारी आवासीय परिसर परियोजना पूरी हो गई है और 20 जून 2022 को गवर्नर महोदय द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) ने परियोजना को उच्चतम ग्रीन रेटिंग (प्लेटिनम) प्रदान की गई है।

XI.93 हौज खास, नई दिल्ली में आवासीय परियोजना जनवरी 2023 में पूरी हो गई है। इस परियोजना को भी आईजीबीसी से उच्चतम ग्रीन रेटिंग (प्लेटिनम) मिली है।

हरित पहल (उत्कर्ष के तहत लक्षित नए निर्माण के अलावा)

XI.94 केंद्रीय कार्यालय भवन के लिए आईजीबीसी से उच्चतम ग्रीन रेटिंग (प्लेटिनम) प्राप्त हुई है।

XI.95 रिज़र्व बैंक विभिन्न कार्यालयों और आवासीय कॉलोनियों में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। अप्रैल 2022-मार्च 2023 के दौरान, छह कार्यालय भवनों और सात आवासीय परिसरों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप मार्च 2023 के अंत तक 27 कार्यालय परिसरों और 56 आवासीय परिसरों में ऐसे सौर ऊर्जा संयंत्र थे, जिसमें सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता मार्च 2022 के अंत में 3,166 किलोवाट (किलोवाट पीक) से बढ़कर मार्च 2023 के अंत में 3,617 किलोवाट हो गई। इसी अवधि के दौरान जल संसाधनों के संरक्षण और कुशल प्रबंधन के लिए 20 कार्यालयों और 46 आवासीय भवनों में वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित की गई थी और 6 कार्यालयों और 15 आवासीय भवनों में सीवेज उपचार संयंत्र स्थापित किए गए थे। 15 कार्यालयों और 51 आवासीय परिसरों में जैविक अपशिष्ट परिवर्तक भी लगाए गए थे।

अन्य पहलें

XI.96 मुंबई और पणजी में अतिरिक्त कार्यालय स्थान लीज पर लिए गए थे। आइजोल, शिलांग और शिमला के लिए वैकल्पिक परिसर लीज पर लिए गए थे और ईटानगर और कोहिमा में खोले गए रिज़र्व बैंक के नए कार्यालयों के लिए नए परिसरों को लीज पर लिया गया था।

XI.97 सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय के विभागों में अचल संपत्तियों की टैगिंग और मिलान के लिए आरएफआईडी (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन) तकनीक को अपनाने का काम पूरा कर लिया गया है, जिसने डेटा उन्नयन और अर्द्धवार्षिक मिलान प्रक्रिया को सरल और तेज कर दिया है।

XI.98 वर्तमान में ₹5 लाख से अधिक की निविदाएं आम तौर पर एमएसटीसी पोर्टल का उपयोग करके ई-निविदा मोड के माध्यम से आमंत्रित की जा रही हैं। 2022-23 के दौरान, केंद्रीय कार्यालय के विभागों, क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा 810 ई-टेंडर जारी किए गए थे।

2023-24 के लिए कार्यसूची

XI.99 वर्ष 2023-24 के लिए, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं :

- *उत्कर्ष* 2.0 के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना;
- देहरादून कार्यालय और रायपुर कार्यालय परियोजनाओं के निर्माण को पूरा करना;
- कार्यालय/आवासीय स्थान की अवशिष्ट आवश्यकता के अधिग्रहण को पूरा करना;
- विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्तमान में योजना के चरण में विभिन्न निर्माण परियोजनाओं को आगे बढ़ाना;
- 25वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन के नवीनीकरण को पूरा करना; और
- परिसर विभाग मैनुअल का एक संशोधित संस्करण प्रकाशित करना

9. निष्कर्ष

XI.100 2022-23 के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा तंत्र को मजबूत करने के उपायों के साथ-साथ अभिशासन, मानव संसाधन, जोखिम निगरानी और रिज़र्व बैंक की कॉरपोरेट कार्यनीति के क्षेत्रों में कई कार्यनीतिक पहल की गईं। मानव संसाधन के क्षेत्र में, नई भर्तियां, आंतरिक और बाहरी प्रशिक्षण, और प्रशिक्षण के लिए एक नए ढांचे के विकास को समग्र संगठनात्मक उद्देश्यों में जोड़ा गया था, जैसा कि परिचालन के अपने व्यापक कैनवास के साथ समन्वय में क्षमताओं के एक विविध और मजबूत पक्ष का निर्माण करने के प्रयास में परिलक्षित होता है। राजभाषा विभाग ने राजभाषा अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया वहीं परिसर विभाग ने सौंदर्य अपील के साथ पर्यावरण के अनुकूल भौतिक बुनियादी ढांचा प्रदान करने के अपने प्रयासों को जारी रखा। विभागों ने वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन किया है और 2023-24 के लिए कार्यसूची निर्धारित की है। *उत्कर्ष* 2022 की क्षमताओं का उपयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक द्वारा जनवरी 2023 से दिसंबर 2025 (*उत्कर्ष* 2.0) तक की अवधि के लिए एक नए मध्यम अवधि कॉरपोरेट कार्यनीति ढांचे का अनावरण किया गया, जिसका उद्देश्य उभरती और अपेक्षित भविष्य की चुनौतियों का सामना करना है।

अनुबंध

XI.1 सारणी XI.1: केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में उपस्थिति
अप्रैल 2022 – 31 मार्च 2023

सदस्य का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में उपस्थित रहे
1	2	3	4
शक्तिकान्त दास	8(1)(ए)	7	7
महेश कुमार जैन	8(1)(ए)	7	7
माइकल देवव्रत पात्र	8(1)(ए)	7	7
एम राजेश्वर राव	8(1)(ए)	7	7
टी रवि शंकर	8(1)(ए)	7	6
रेवती अय्यर	8(1)(बी)	7	6
सचिन चतुर्वेदी	8(1)(बी)	7	7
सतीश काशीनाथ मराठे	8(1)(सी)	7	7
स्वामीनाथन गुरुमूर्ति	8(1)(सी)	7	5
आनंद गोपाल महिंद्रा	8(1)(सी)	5	1
वेणु श्रीनिवासन*	8(1)(सी)	5	4
पंकज रमणभाई पटेल*	8(1)(सी)	5	5
रवींद्र एच धोलकिया*	8(1)(सी)	5	5
अजय सेठ	8(1)(डी)	7	5
संजय मल्होत्रा#	8(1)(डी)	4	2
विवेक जोशी$	8(1)(डी)	3	2

*: 14 जून 2022 से निदेशक
#: 14 नवंबर 2022 तक निदेशक
$:15 नवंबर 2022 से निदेशक

सारणी XI.2: 1 अप्रैल 2022 - 31 मार्च 2023 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की समितियों की बैठक में उपस्थिति

सदस्य का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में उपस्थित रहे
1	2	3	4
I. केंद्रीय बोर्ड की समिति (सीसीबी)			
शक्तिकान्त दास	8(1)(ए)	46	41
महेश कुमार जैन	8(1)(ए)	46	42
माइकल देवव्रत पात्र	8(1)(ए)	46	36
एम राजेश्वर राव	8(1)(ए)	46	42
टी रवि शंकर	8(1)(ए)	46	38
रेवती अय्यर	8(1)(बी)	19	19
सचिन चतुर्वेदी	8(1)(बी)	16	8
सतीश काशीनाथ मराठे	8(1)(सी)	21	21
स्वामीनाथन गुरुमूर्ति	8(1)(सी)	14	7
आनंद गोपाल महिंद्रा	8(1)(सी)	10	10
वेणु श्रीनिवासन*	8(1)(सी)	10	4
पंकज रमणभाई पटेल*	8(1)(सी)	13	13
रवींद्र एच धोलकिया*	8(1)(सी)	32	32
अजय सेठ	8(1)(डी)	7	7

*: 14 जून 2022 से निदेशक

II. वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस)			
शक्तिकान्त दास	अध्यक्ष	12	12
महेश कुमार जैन	उपाध्यक्ष	12	12
माइकल देवव्रत पात्र	सदस्य	12	11
एम राजेश्वर राव	सदस्य	12	10
टी रवि शंकर	सदस्य	12	10
सतीश काशीनाथ मराठे#	सदस्य	12	10
सचिन चतुर्वेदी	सदस्य	12	9
रवींद्र एच धोलकिया^	सदस्य	7	7

#: 19 अगस्त 2022 से बीएफएस के सदस्य के रूप में पुनः नामित।
^: 7 सितंबर 2022 से बीएफएस के सदस्य के रूप में नामित।

III. भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड (बीपीएसएस)			
शक्तिकान्त दास	अध्यक्ष	2	2
टी रवि शंकर	उपाध्यक्ष	2	2
महेश कुमार जैन	सदस्य	2	2
माइकल देवव्रत पात्र	सदस्य	2	1
एम राजेश्वर राव	सदस्य	2	2
सचिन चतुर्वेदी	सदस्य	2	2
वेणु श्रीनिवासन$	सदस्य	1	Nil

$: 7 सितंबर 2022 से बीपीएसएस के सदस्य के रूप में नामित।

सारणी XI.3: बोर्ड की उप-समितियों की बैठक में उपस्थिति
1 अप्रैल 2022 – 31 मार्च 2023

सदस्य का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में उपस्थित रहे
1	2	3	4
I. लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस)			
रेवती अय्यर	अध्यक्ष	8	8
सतीश काशीनाथ मराठे*	सदस्य	3	3
वेणु श्रीनिवासन#	सदस्य	5	3
पंकज रमणभाई पटेल#	सदस्य	5	4
एम राजेश्वर राव	सदस्य	8	8

*: 06 अगस्त 2022 तक सदस्य। #: 07 सितंबर 2022 से एआरएमएस के सदस्य के रूप में नामित।

II. निर्माण उप समिति (बीएससी)			
सतीश काशीनाथ मराठे*	अध्यक्ष	1	1
पंकज रमणभाई पटेल#	अध्यक्ष	1	1
आनंद गोपाल महिंद्रा$	सदस्य	1	1

*: 06 अगस्त 2022 तक सदस्य। #: 07 सितंबर 2022 से बीएससी के अध्यक्ष के रूप में नामित।
$: 07 सितंबर 2022 से बीएससी के सदस्य के रूप में नामित।

III. मानव संसाधन प्रबंध उप समिति (एचआरएम-एससी)			
आनंद गोपाल महिंद्रा*	अध्यक्ष	1	1
पंकज रमणभाई पटेल#	सदस्य	1	1

*: 07 सितंबर 2022 से एचआरएम-एससी के अध्यक्ष के रूप में नामित।
#: 07 सितंबर 2022 से एचआरएम-एससी के सदस्य के रूप में नामित।

IV. सूचना प्रौद्योगिकी उप समिति (आईटी-एससी)			
सचिन चतुर्वेदी	अध्यक्ष	2	2
वेणु श्रीनिवासन#	सदस्य	2	1

#: 07 सितंबर 2022 से आईटी-एससी के सदस्य के रूप में नामित।

V. कार्यनीति उप समिति (एस-एससी)			
रेवती अय्यर	अध्यक्ष	1	1
आनंद गोपाल महिंद्रा*	सदस्य	1	1
माइकल देवव्रत पात्र	सदस्य	1	1

*: 07 सितंबर 2022 से एस-एससी के सदस्य के रूप में नामित।

सारणी XI.4: स्थानीय बोर्डों की बैठकों में उपस्थिति
1 अप्रैल 2022 से 18 सितंबर 2022

सदस्य का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में उपस्थित रहे
1	2	3	4
रेवती अय्यर, एनएएलबी	धारा 9(1)	2	2
आर एन दूबे, एनएएलबी*	धारा 9(1)	2	2

एनएएलबी: उत्तरी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड. *: 18 सितंबर 2022 तक सदस्य।

सारणी XI.5: 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के दौरान स्थानीय बोर्ड के बदले केंद्रीय निदेशक मंडल की स्थायी समिति की बैठक में उपस्थिति

सदस्य का नाम	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में उपस्थित रहे
1	2	3
रेवती अय्यर, अध्यक्ष	7	7
सतीश काशीनाथ मराठे, सदस्य	7	7

नोट: उत्तरी क्षेत्र के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी और पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों के लिए दो-दो बैठकें आयोजित की गई थीं।